देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी

का

मानकीकरण

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार

देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी

का

मानकीकरण

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

भारत सरकार

1983

में हिंदी के प्रख्यात शब्दकोशों में भी एकरूपता का अभाव है। अत: केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भाषाविदों, पत्रकारों एवं हिंदी-सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से इन विषयों पर एक सर्वसम्मत निर्णय तक पहुँचने का प्रयास किया है।

इस पुस्तिका के एक अध्याय में, पैराग्राफ़ों के विभाजन तथा उपविभाजन से संबंधित मानक पद्धति अपनाने के बारे में भी संस्तुति की गई है। इस तरह यह प्रयत्न किया गया है कि देवनागरी लिपि से सबंधित समस्याओं पर शिक्षा मंत्रालय ने अब तक जो प्रयास किए हैं, उनकी संक्षिप्त-समेकित जानकारी इस पुस्तिका के जरिए पाठकों को दी जा सके।

प्राय: देखा गया है कि हिंदी लिखते समय लोग देवनागरी वर्णमाला में प्रयुक्त वर्णों, शिरोरेखा और मात्राओं की लिखावट में एक निश्चित दिशा-पद्धति का निर्वाह नहीं करते। प्रारंभिक शालाओं में इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाते समय तो इस प्रसंग में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए हिंदी वर्णमाला : लेखन विधि इसमें दी जा रही है।

आशा है, यह पुस्तिका हिंदी भाषा की एकरूपता और मानकीकरण की दिशा में तथा भारतीय भाषाओं को अधिकाधिक निकट लाने के प्रयास में लाभप्रद सिद्ध होगी। इस क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों तथा प्रयोगकर्ताओं के सुझावों का स्वागत है।

नई दिल्ली
वसंत पंचमी, 19 जनवरी, 1983

डॉ० रणवीर रांग्रा
निदेशक,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय

अनुक्रमणिका

व्यंजन

क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व ळ

श ष स ह

संयुक्त व्यंजन

क्ष त्र ज्ञ श्र

हल् चिह्न

्   (ड्)

गृहीत स्वन

ऑ (ॅ), ख़, ज़, फ़

देवनागरी अंक

१ २ ३ ४ ५

६ ७ ८ ९ ०

भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी वर्णमाला में तो ऋ, ऌ तथा ॡ भी सम्मिलित हैं, किंतु हिंदी में इन वर्णों का प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, परंतु राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग भी प्राधिकृत कर सकते हैं।

परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला

केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने उपर्युक्त मानक हिंदी वर्णमाला के साथ ही परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला भी विकसित की है, ताकि उसके माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं का लिप्यंतरण देवनागरी में हो सके। परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला का विवरण पृष्ठ 19-21 पर दिया गया है।

2. हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

किसी भी भाषा के सीखने-सिखाने में सहायक या बाधक बनने वाले दो प्रमुख तत्व हैं, उसका व्याकरण और लिपि। लिपि का एक पक्ष है, सामान्य और विशिष्ट स्वनों के पृथक् प्रतीक-वर्णों की समृद्धि, उनका परस्पर स्पष्ट आकार-भेद, लिखावट में सरलता तथा स्थान-लाघव एवं प्रयत्न-लाघव।

लिपि का दूसरा पक्ष है, वर्तनी। एक ही स्वन को प्रकट करने के लिए विविध वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। यद्यपि देवनागरी लिपि में यह दोष न्यूनतम है; फिर भी उसकी कुछ अपनी विशिष्ट कठिनाइयाँ भी हैं।

इन सभी कठिनाइयों को दूर कर हिंदी वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने अप्रेल, 1962 में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिन्हें सरकार ने स्वीकृत किया। इन्हें 1967 में **हिंदी वर्तनी का मानकीकरण** शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया था।

वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम इस प्रकार हैं :

(1) संयुक्त वर्ण

(क) खड़ी पाई वाले व्यंजन

खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथा :

ख्याति, लग्न, विघ्न	व्यास
कच्चा, छज्जा	श्लोक
नगण्य	राष्ट्रीय
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास	स्वीकृति
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य	यक्ष्मा
शय्या	त्र्यंबक
उल्लेख	

(ख) अन्य व्यंजन

(अ) 'क' और 'फ़' के संयुक्ताक्षर :

संयुक्त, पक्का, दफ़्तर आदि की तरह बनाए जाएँ, न कि संयुक्त, पक्का, दफ़्तर की तरह।

(आ) ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ, यथा :

वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि

(वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा नहीं)।

(इ) संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे, यथा :

प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

(ई) 'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे 'श्र' के रूप में नहीं लिखा जाएगा। त्+र के संयुक्त रूप के लिए त्र और त्र दोनों रूपों में से किसी एक के प्रयोग की छूट होगी। किंतु 'क्र' को 'क्र' के रूप में नहीं लिखा जाएगा।

(उ) हल् चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ 'इ' की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व, यथा : कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित आदि (कुट्टिम, द्विवतीय, बुद्धिमान, चिह्नित नहीं)।

(ऊ) संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे, उदाहरणार्थ : संयुक्त, चिह्न, विद्या, चञ्चल, विद्वान, वृद्ध, अङ्क, द्वितीय, बुद्धि आदि।

विभक्ति-चिह्न

(क) हिंदी के विभक्ति-चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ, जैसे—राम ने, राम को, राम से आदि तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाएँ, जैसे—उसने, उसको, उससे, उसपर आदि।

(ख) सर्वनामों के साथ यदि दो विभक्ति-चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए, जैसे—उसके लिए, इसमें से।

(ग) सर्वनाम और विभक्ति के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक् लिखा जाए, जैसे—आप ही के लिए, मुझ तक को।

(3) क्रियापद

संयुक्त क्रियाओ में सभी अंगभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँ, जैसे—पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि।

(4) हाइफ़न

हाइफ़न का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।

(क) द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए, जैसे—
राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती-संवाद, देख-रेख, चाल-चलन, हँसी-मज़ाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना आदि।

(ख) सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए, जैसे—
तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से तीखे।

(ग) तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए, जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे—भू-तत्व। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफ़न लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे—रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।

इसी तरह यदि 'अ-नख' (बिना नख का) समस्त पद में हाइफ़न न लगाया जाए तो उसे 'अनख' पढ़े जाने से 'क्रोध' का अर्थ भी निकल सकता है। अ-नति (नम्रता का अभाव) : अनति (थोड़ा), अ-परस (जिसे किसी ने न छुआ हो) : अपरस (एक चर्म रोग), भू-तत्व (पृथ्वी-तत्व) : भूतत्व (भूत होने का भाव) आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न-भिन्न शब्द हैं।

(घ) कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफ़न का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे : द्वि-अक्षर, द्वि-अर्थक आदि।

(5) अव्यय

'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ, जैसे—आपके साथ, यहाँ तक।

इस नियम को कुछ और उदाहरण देकर स्पष्ट करना आवश्यक है। हिंदी में आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिह्न भी आते हैं, जैसे — अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक् लिखे जाने चाहिए, जैसे—आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपए मात्र आदि। सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ, जैसे—श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि।

समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय पृथक् नहीं लिखे जाएँगे, जैसे—प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र, यथासमय, यथोचित आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अतः उसे व्यस्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है।

(6) श्रुतिमूलक 'य', 'व'

(क) जहाँ श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए, अर्थात् किए-किये, नई-नयी, हुआ-हुवा आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए, जैसे—दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि।

(ख) जहाँ 'य' श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसे— स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व आदि। यहाँ स्थाई, अव्यईभाव, दाइत्व नहीं लिखा जाएगा।

(7) अनुस्वार तथा अनुनासिकता-चिह्न (चंद्रबिंदु)

अनुस्वार (ं) और अनुनासिकता चिह्न (ँ) दोनों प्रचलित रहेंगे।

(क) संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण / लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे— गंगा, चंचल, ठंडा, संध्या, संपादक आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है, अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा (गङ्गा, चञ्चल, ठण्डा, सन्ध्या, सम्पादक का नहीं)। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा वही पंचमाक्षर दुबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे — वाङ्मय, अन्य, अन्न, सम्मेलन, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख आदि। अतः वांमय, अंय, अंन, संमेलन, संमति, चिंमय, उंमुख, आदि रूप ग्राह्य नहीं हैं।

(ख) चंद्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है, जैसे—हंस : हँस, अंगना : अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु (अनुस्वार चिह्न) का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट दी जा सकती है, जैसे—नहीं, में, मैं। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्रबिंदु का उच्चारण सिखाना अभीष्ट हो, वहाँ उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए, जैसे— कहाँ, हँसना, आँगन, सँवारना, मेँ, मैँ, नहीँ आदि।

(8) विदेशी ध्वनियाँ

(क) अरबी-फ़ारसी या अंग्रेज़ी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे—कलम, किला, दाग आदि (क़लम, क़िला, दाग़ नहीं)। पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएँ, जैसे—खाना : ख़ाना, राज : राज़, फन : हाइफ़न। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि अरबी - फ़ारसी एवं अंग्रेज़ी की मुख्यत: पाँच ध्वनियाँ (क़, ग़, ख़, ज़ और फ़) हिंदी में आई हैं जिनमें से दो (क़ और ग़) तो हिंदी उच्चारण (क, ग) में परिवर्तित हो गई हैं, एक (ख़) लगभग हिंदी 'ख' में खपने की प्रक्रिया में है और शेष दो (ज़, फ़) धीरे-धीरे अपना अस्तित्व खोने / बनाए रखने के लिए संघर्षरत हैं।

(ख) अंग्रेज़ी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा (ा) के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ, ॉ)। जहाँ तक अंग्रेज़ी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण का संबंध है, अगस्त-सितंबर, 1962 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफ़ारिश उल्लेखनीय है। उसमें यह कहा गया है कि अंग्रेज़ी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत-चिह्न लगाने पड़ें। अंग्रेज़ी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेज़ी उच्चारण के अधिक-से-अधिक निकट होना चाहिए। उसमें भारतीय शिक्षित समाज में प्रचलित उच्चारण संबंधी थोड़े-बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं। अन्य भाषाओं के शब्दों के संबंध में भी यही नियम लागू होना चाहिए।

(ग) हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनके दो-दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत्समाज मे दोनों रूपों की एक-सी मान्यता है। फ़िलहाल इनकी एकरूपता आवश्यक नही समझी गई है। कुछ उदाहरण हैं— गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ़/बर्फ़, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, कुरसी/कुर्सी, भरती/भर्ती, फुरसत/फ़ुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, वापिस/वापस, आखीर/आखिर, बरतन/बर्तन, दोबारा/दुबारा, दूकान/दुकान, बीमारी/बिमारी आदि।

(9) हल् चिह्न

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल् चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए, जैसे— 'महान', 'विद्वान' आदि के 'न' में।

(10) स्वन-परिवर्तन

संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया जाए। अतः 'ब्रह्मा' को 'ब्रम्हा', 'चिह्न' को 'चिन्ह', 'उऋण' को 'उरिण' में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्याधिक, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं हैं। इनके स्थान पर क्रमशः गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए। जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने की छूट है, जैसे— अर्द्ध/अर्ध, उज्ज्वल/उज्वल, तत्त्व/तत्व आदि।

(11) विसर्ग

संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए, जैसे— 'दुःखानुभूति' में। यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे— 'दुख-सुख के साथी'।

(12) 'ऐ', 'औ' का प्रयोग

हिंदी में ऐ (ै), औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ 'है', 'और' आदि में हैं तथा दूसरे प्रकार की 'गवैया', 'कौवा' आदि में। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों (ऐ, ै ; औ, ौ) का प्रयोग किया जाए। 'गवय्या', 'कव्वा' आदि संशोधनों की आवश्यकता नहीं है।

(13) पूर्वकालिक प्रत्यय

पूर्वकालिक प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे—मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि।

(14) अन्य नियम

(क) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

(ख) फ़ुलस्टॉप को छोड़ कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाएँ, जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं, यथा—

(- — , ; ? ! : =)

(विसर्ग के चिह्न को ही कोलन का चिह्न मान लिया जाए)

(ग) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाए।

(15) मानक वर्तनी के प्रयोग का उदाहरण

हिंदी एक विकासशील भाषा है। संघ की राजभाषा घोषित हो जाने के बाद यह शनैः शनैः अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर रही है। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संपर्क में आकर, उनसे बहुत कुछ ग्रहण करके और अहिंदी भाषियों द्वारा प्रयुक्त होते-होते उसका यथासमय एक सर्वसम्मत अखिल भारतीय रूप विकसित होगा—ऐसी आशा है।

यद्यपि यह सही है कि एक विस्तृत भू-खंड में और बहुभाषी समाज के बीच व्यवहृत किसी भी विकासशील भाषा के उच्चारणगत गठन में अनेकरूपता मिलना स्वाभाविक है, उसे व्याकरण के कठोर नियमों में जकड़ा नहीं जा सकता ; उसके प्रयोगकर्ताओं को, किसी ऐसे शब्द को जिसके दो या अधिक समानांतर रूप प्रचलित हो चुके हों, एक विशेष रूप में प्रयुक्त करने के लिए बाध्य

नहीं किया जा सकता ; ऐसे शब्दरूपों के बारे में किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्णय दे देने के बाद भी उनकी ग्राह्यता-अग्राह्यता के विषय में मतभेद बना ही रहता है ; फिर भी प्रथमत: कम से कम लेखन, टंकण और मुद्रण के क्षेत्र में तो हिंदी भाषा में एकरूपता और मानकीकरण की तत्काल आवश्यकता है ही। क्या ऐसा करना आज के यंत्राधीन जीवन की अनिवार्यता नहीं है ?

भाषाविषयक कठोर नियम बना देने से उनकी स्वीकार्यता तो संदेहास्पद हो ही जाती है, साथ ही भाषा के स्वाभाविक विकास में भी अवरोध आने का थोड़ा-सा डर रहता है। फलत: भाषा गतिशील, जीवंत और समयानुरूप नहीं रह पाती। हिंदी वर्णमाला के मानकीकरण में और हिंदी वर्तनी की एकरूपता विषयक नियम निर्धारित करते समय इन सब तथ्यों को ध्यान में रखा गया है और इसीलिए, जहाँ तक बन पड़ा है, काफ़ी हद तक उदारतापूर्ण नीति अपनाई गई है।

3. हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता

हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्राय: एकरूपता का अभाव दिखाई देता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित **ए बेसिक ग्रामर ऑफ़ मॉडर्न हिंदी** में भी इस एकरूपता का अभाव था। अत: निदेशालय में 5-6 फरवरी, 1980 को आयोजित भाषाविज्ञानियों की बैठक में इस पर गंभीरता से विचार किया गया। तदनुसार एक से सौ तक सभी संख्यावाचक शब्दों पर विचार करने के बाद इनका जो मानक रूप स्वीकृत हुआ, वह इस प्रकार है :

एक से सौ तक संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप

एक	दो	तीन	चार	पाँच	छह	सात	आठ	नौ	दस
ग्यारह	बारह	तेरह	चौदह	पंद्रह	सोलह	सत्रह	अठारह	उन्नीस	बीस
इक्कीस	बाईस	तेईस	चौबीस	पच्चीस	छब्बीस	सत्ताईस	अट्ठाईस	उनतीस	तीस
इकतीस	बत्तीस	तेंतीस	चौंतीस	पेंतीस	छत्तीस	सेंतीस	अड़तीस	उनतालीस	चालीस
इकतालीस	बयालीस	तेंतालीस	चवालीस	पेंतालीस	छियालीस	सेंतालीस	अड़तालीस	उनचास	पचास
इक्यावन	बावन	तिरपन	चौवन	पचपन	छप्पन	सतावन	अठावन	उनसठ	साठ
इकसठ	बासठ	तिरसठ	चौंसठ	पेंसठ	छियासठ	सड़सठ	अड़सठ	उनहत्तर	सत्तर
इकहत्तर	बहत्तर	तिहत्तर	चौहत्तर	पचहत्तर	छिहत्तर	सतहत्तर	अठहत्तर	उनासी	अस्सी
इक्यासी	बयासी	तिरासी	चौरासी	पचासी	छियासी	सतासी	अठासी	नवासी	नब्बे
इक्यानवे	बानवे	तिरानवे	चौरानवे	पचानवे	छियानवे	सतानवे	अठानवे	निन्यानवे	सौ

4. परिवर्धित देवनागरी

केंद्रीय हिंदी निदेशालय का एक प्रमुख उद्देश्य देवनागरी को भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण का सशक्त माध्यम बनाना भी रहा है। इसके लिए यह आवश्यक था कि देवनागरी में अन्य भाषाओं की ध्वनियों के सूचक प्रतीक विकसित किए जाएँ। अतः निदेशालय ने विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद सन् 1966 में **परिवर्धित देवनागरी** नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें दक्षिण भारत की भाषाओं तथा कश्मीरी के विशिष्ट स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त सिंधी और उर्दू की विशिष्ट ध्वनियों के लिप्यंतरण के लिए देवनागरी में अपेक्षित परिवर्धन किया गया। सिंधी को छोड़कर शेष सभी भारतीय भाषाओं में संविधान के एक अंश का लिप्यंतरण इस परिवर्धित देवनागरी में किया गया था।

परिवर्धित देवनागरी की न्यूनताओं पर बाद में भी विचार चलता रहा और इनके निराकरण के लिए प्रयास किया गया और विद्वानों से इस प्रसंग में सम्मतियाँ भी माँगी गईं। प्राप्त सम्मतियों और सुझावों के अनुसरण में एक तुलनात्मक सारणी बनाई गई जिसमें संविधान की अष्टम अनुसूची की सभी भाषाओं को समाविष्ट किया गया। यह सारणी निदेशालय की विभिन्न बहुभाषी कोश-योजनाओं में काफी सहायक सिद्ध हुई। कालांतर में इस सारणी में भी संशोधन-परिवर्धन करने की आवश्यकता जान पड़ी। अतः 5-6 फरवरी, 1980 को निदेशालय में भाषा-विशेषज्ञों की एक बैठक हुई, जिसमें परिवर्धित देवनागरी में निम्नलिखित सुधार किया गया :—

(1) हटाए गए लिपिचिह्न :

(क) कश्मीरी : इ़, उ़, ज़, झ़

(ख) संस्कृत : लृ, लॄ

(2) जोड़े गए लिपिचिह्न

(क) कश्मीरी : अॅ, ऑ

(ख) हल्चिह्न : ˎ

(इ) परिवर्तित लिपिचिह्न

		पूर्व रूप	परिवर्तित रूप
(क)	कश्मीरी ह्रस्व आ	अं	ऑ
(ख)	दक्षिण भारतीय भाषाओं में ह्रस्व ए :	ऍ	ऎ
(ग)	सिंधी अंतःस्फोटी	द	ड
(घ)	मलयालम ७	ष़	ऴ

(ङ) उर्दू-फ़ारसी अथवा अरबी ع (अ) को व्यंजन मानते हुए इनके साथ अन्य मात्राएँ इस प्रकार जुड़ेंगी : अ़ि, अ़ी, अ़ु आदि ।

इस प्रकार परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला सारणी का जो रूप स्वीकृत हुआ है, वह निम्नलिखित है :

परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला

देवनागरी वर्णमाला

स्वर : अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ

मात्राएँ : ा ि ी ु ू ृ ॄ े ै ो ौ

अनुस्वार : ं (अं)

विसर्ग : ः (अः)

अनुनासिकता चिह्न ँ

व्यंजन : क ख ग घ ङ

च छ ज झ ञ

ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व ळ

श ष स ह

संयुक्त व्यंजन : क्ष त्र ज्ञ श्र

हल् चिह्न : ्

विशेषक चिह्न :

स्वर : (1) ह्रस्व ए और ओ ऎ ऒ

मात्राएँ ॆ ॊ

(2) कश्मीरी के विशिष्ट स्वर ॖ ॗ ॳ ॴ ॲ ऑ

मात्राएँ

व्यंजन : (1) कश्मीरी चवर्ग च़ छ़

(2) सिंधी अंतःस्फोटी व्यंजन ॻ ॼ ॾ ॿ

(3) तमिळ ழ और मलयाळम ഴ ऴ

(4) बंगला-असमिया य़

(5) दक्षिण भारतीय भाषाओं के 'र' का कठोर उच्चारण ऱ

(6) तमिळ ன ऩ

(7) मलयाळम ന का वर्त्स्य उच्चारण ऩ

(8) फ़ारसी-अरबी और अंग्रेजी से गृहीत स्वन क़ ख़ ग़ ज़ झ़ फ़

(9) उर्दू ॳैन (ع) अ़

स्थिति के अनुसार अ़ा (अ़ादत), अ़ि (अ़िबादत), अ़ी (अ़ीद), अ़ु (अ़ुमर), अ़ै (अ़ैब), अ़ौ (अ़ौरत), आदि

5. पैराग्राफ़ों आदि के विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों का प्रयोग

देखने में आया है कि अंग्रेज़ी-हिंदी अनुवादों में तथा अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय के विभाजन, उपविभाजन तथा पैराओं-उपपैराओं का क्रमांकन करते समय अंग्रेज़ी के A, B, C a, b, c के लिए कहीं क, ख, ग तथा कहीं अ, आ, इ और कहीं, अ, ब, स का प्रयोग किया जाता है। यह अनेकता भी हिंदी के मानक स्वरूप के विकास में बाधक रही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इस विषय पर भाषा-विशेषज्ञों की दिनांक 5-6 फरवरी, 1980 की बैठक में विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय किया है कि A, B, C अथवा a, b, c के लिए हिंदी में सर्वत्र क, ख, ग का प्रयोग किया जाए। जहां रोमन वर्ण कोष्ठक में हो, वहां देवनागरी वर्णों को भी कोष्ठकों में रखा जाए। विषय के विभाजन, उपविभाजन, पैराओं या उपपैराओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंकों अर्थात् 1, 2, 3 के प्रयोग के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार रोमन i, ii, iii आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त पद्धति को निम्नलिखित नमूने में उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है :

पैराग्राफ़ों के विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों का प्रयोग

GRAMMAR	व्याकरण
I. The Alphabet	I. वर्णविचार
A. Vowels	क. स्वर
1. Definition of Vowel	1. स्वर की परिभाषा
2. Kinds of vowels	2. स्वर-भेद
(1) According to form	(1) रचना के अनुसार
(i) basic (Monophthong)	(i) मूल (एकस्वरक)
(ii) lengthened	(ii) दीर्घीकृत
(a) long	(क) दीर्घ
(b) protracted	(ख) प्लुत
(iii) diphthong	(iii) संध्यक्षर
(2) According to nasality	(2) अनुनासिकता के आधार पर
(i) oral/non-nasal	(i) मौखिक/निरनुनासिक
(ii) nasal	(ii) अनुनासिक
B. Consonants	ख. व्यंजन
II. The word	II. शब्दविचार
III. The Sentence	III. वाक्यविचार
IV Composition	IV. रचना

हिंदी वर्णमाला : लेखन विधि

अ आ

इ ई

उ ऊ

ऋ

ए ऐ

ओ औ

क
ख
ग
घ
ङ
च
छ
ज
झ
ञ
ट
ठ
ड
ढ

ण
त
थ
द
ध
न
प
फ
ब
भ
म
य
र
ल

इस पुस्तिका में उल्लिखित विभिन्न विषयों में निदेशालय को परामर्श तथा मार्गदर्शन प्रदान करने वाले भाषा-विशेषज्ञ तथा अधिकारी

विशेषज्ञ

1.	श्री अक्षय कुमार जैन	भूतपूर्व संपादक, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
2.	डॉ० इंद्रनाथ चौधरी	अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद
3.	डॉ० ई० पांडुरंग राव	निदेशक, हिंदी, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
4.	डॉ० ए० चंद्रशेखर	भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
5.	डॉ० एन० एन० बवेजा	भाषाविद्
6.	श्री एन० के० तोशाखानी	भाषाविद्
7.	प्रो० एन० नगप्पा	भूतपूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
8.	डॉ० एम० के० जेतली	रीडर, आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
9.	डॉ० कृष्णगोपाल रस्तोगी	प्रोफेसर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
10.	डॉ० कैलाशचंद्र भाटिया	प्रोफेसर, हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएँ, ला० ब० शा० राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी
11.	प्रो० गुरबख्श सिंह	भाषाविद्
12.	(स्व०) श्री गोलोक बिहारी धळ	भूतपूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, राजकीय कॉलेज, पुरी (उड़ीसा)
13.	डॉ० छैलबिहारी गुप्त	254, सर्वोदय नगर, अलीगढ़
14.	डॉ० जे० एल० रेड्डी	दयाल सिंह कॉलेज, नई दिल्ली

15.	प्रो० जोगेंद्र सिंह सोंधी	भाषाविद्
16.	प्रो० टी० पी० मीनाक्षीसुदरन्	भूतपूर्व कुलपति, मदुरै विश्वविद्यालय, मदुरै
17.	श्री देवराज	प्रतिनिधि, हिंदी प्रकाशक संघ, दिल्ली
18.	प्रो० देवेंद्रनाथ शर्मा	भूतपूर्व अध्यक्ष, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना
19.	श्री नंद कुमार अवस्थी	संचालक, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ
20.	डॉ० नगेंद्र	भूतपूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
21.	(स्व०) डा० पी० बी० पंडित	भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
22.	श्री पृथ्वीनाथ पुष्प	अध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, श्रीनगर
23.	डॉ० बाबूराम सक्सेना	भूतपूर्व कुलपति, रविशंकर विश्वविद्यालय, सागर एवं भूतपूर्व अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली
24.	डॉ० बालगोविंद मिश्र	निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
25.	डॉ० बी० पी० कोलते	अध्यक्ष, मराठी विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय
26.	डॉ० भोलानाथ तिवारी	रीडर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
27.	डॉ० मसूद हुसैन खाँ	भूतपूर्व कुलपति, जामिया मिलिया इसलामिया, दिल्ली
28.	श्री मोहनलाल सर	प्राध्यापक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र, दिल्ली
29.	डॉ० रवींद्रनाथ श्रीवास्तव	प्रोफेसर, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
30.	श्री लोकनाथ भराली	क्षेत्रीय अधिकारी, के. हि. निदेशालय, गुवाहाटी
31.	डॉ० विद्यानिवास मिश्र	निदेशक, क० मुं० हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, आगरा
32.	डॉ० विश्वनाथ प्रसाद	प्रतिनिधि, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी

33.	डॉ० सविता जाजोदिया	संपादक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
34.	डॉ० सुकुमार सेन	भूतपूर्व प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता
35.	डा० हरदेव बाहरी	भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विदेश मंत्रालय

(1)	श्री हरिवंश राय बच्चन	भूतपूर्व विशेषाधिकारी (हिंदी)

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्यमंत्रालय

(1)	श्री बालकृष्ण	भूतपूर्व कार्यकारी सचिव, राजभाषा विधायी आयोग
(2)	श्री ब्रजकिशोर शर्मा	संयुक्त सचिव, राजभाषा स्कंध

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

(1)	श्री हृदय नारायण अग्रवाल	प्रतिनिधि
(2)	श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार	प्रतिनिधि

गृह मंत्रालय

(1)	श्री रमाप्रसन्न नायक	भूतपूर्व हिंदी सलाहकार
(2)	श्री मुनीश गुप्त	भूतपूर्व संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
(3)	श्री हरिबाबू कंसल	भूतपूर्व उपसचिव, राजभाषा विभाग
(4)	श्री राजकृष्ण बंसल	भूतपूर्व उपसचिव, राजभाषा विभाग
(5)	श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय	भूतपूर्व निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
(6)	श्री काशीराम शर्मा	निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(1)	डॉ० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन	अपर सचिव
(2)	(स्व०) श्री कृष्णदयाल भार्गव	भूतपूर्व उपसचिव
(3)	श्री पी० एन० नाटू	भूतपूर्व उपसचिव

उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो

(1)	श्री अबुल फ़ैज़	सहायक निदेशक

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

1. भूतपूर्व अधिकारी

(1)	प्रो० हरवंशलाल शर्मा	अध्यक्ष एवं निदेशक
(2)	(स्व०) डॉ० विश्वनाथ प्रसाद	निदेशक
(3)	(स्व०) प्रो० ए० चंद्रहासन	निदेशक
(4)	डॉ० गोपाल शर्मा	निदेशक
(5)	डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा	प्रधान संपादक (हिंदी)
(6)	डॉ० रामधन शर्मा	प्रधान अनुसंधान अधिकारी
(7)	श्री जीवन नायक	प्रधान संपादक
(8)	श्री काशीराम शर्मा	संपादक
(9)	डॉ० सुरेश अवस्थी	उपनिदेशक
(10)	श्रीमती तारा तिक्कू	संपादक
(11)	श्री परशुराम शर्मा	संपादक
(12)	श्री सतीश अग्रवाल	अनुसंधान सहायक
(13)	श्री अजीतलाल गुलाटी	अनुसंधान सहायक
(14)	श्री भगवती प्रसाद निदारिया	अनुसंधान सहायक

2. वर्तमान अधिकारी

(1)	डॉ० रणवीर रांग्रा	निदेशक
(2)	डॉ० नरेंद्र व्यास	प्रधान संपादक
(3)	श्री देवेंद्रदत्त नौटियाल	उपनिदेशक
(4)	श्री हरि बाबू वाशिष्ठ	सहायक निदेशक
(5)	श्री नीलकंठ नंपूतिरि	सहायक निदेशक
(6)	श्री हरि शरण आर्य	अनुसंधान सहायक
(7)	श्रीमती सरोज जैन	अनुसंधान सहायक

—o—